प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

02 हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन सश्रम कारावास व 50,000/- रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांक: 11.10.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 11.10.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना मिश्रिख से सम्बन्धित मु0अ0सं0 1008/08 धारा 302/34 भादवि बनाम 1.प्रमोद कुमार पुत्र भग्गू 2.अनिल कुमार पुत्र कैलाश सर्व निवासीगण ग्राम औरंगाबाद थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर व मु0अ0सं0 1023/08 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट बनाम अनिल उपरोक्त में मिश्रिख पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 11.10.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.प्रमोद कुमार 2.अनिल कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 भा.द.वि में प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा अभियुक्त अनिल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट 02 वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी।

....